न्यायालय :—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 जालोर।

हितेशकुमार बनाम राज.राज्य

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 160/ **2026** CIS NO. 260/2026

दिनांक 27.03.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित

प्रार्थी हितेश कुमार मय अधिवक्ता श्री कमलसिंह उपस्थित।

प्रार्थी हितेश कुमार ने जरिये अधिवक्ता सीआर प्रकरण संख्या 37/2026 पीएस बिशनगढ में जब्त वाहन ईनोवा संख्या **आरजे19 यूए 8001** जब्त सुर्पदगीनामा व जमानतनामा पर प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ था, जो सुनवाई हेतु मेरे समक्ष आज पेश हुआ प्रकरण फौजदारी विविध दर्ज रजिस्टर हो। केस डायरी पेश हुई । बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाहन के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र, की फोटोप्रतियॉ पेश की। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। सुना गया। असल दस्तावेज बाद अवलोकन पुनः प्रार्थी को लौटाये गये। प्रकरण मे प्रश्नगत वाहन को थानाधिकारी पुलिस थाना बिशनगढ जिला जालोर द्वारा वाहन सीआर प्रकरण संख्या 37/2026 अंतर्गत धारा 281,106(1)बीएनएस 2023 में कब्जा पुलिस लिया गया था। प्रश्नगत वाहन के संबंध में स्वामित्व बाबत् वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों में प्रश्नगत वाहन प्रार्थी के नाम होना दर्शित होता है। वाहन काफी समय से थाने में पडा है वाहन के अधिक समय तक थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। वाहन का बीमित होने का तथ्य भी प्रकट हुआ है। ऐसी दशा में उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जब्तशुदा वाहन को **प्रार्थी हितेश कुमार लुकड** को सर्शत अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी **रूपये 6,00,000/—(अक्षरे छः लाख रूपये)** का सुपुर्दगीनामा तथा इतनी ही राशि की एक जमानत नीचे वर्णित शर्तों के साथ पेश कर दें तो उक्त जब्तशुदा **वाहन वाहन ईनोवा संख्या आरजे 19 यूए 8001 प्रार्थी हितेश कुमार लुकड पुत्र रमेश लुकड उम्र 32 वर्ष निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा** को नियमानुसार सुपुर्द करने को आदेश दिया जाता है :—

1. प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के वाहन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के नाम अन्तरित नहीं करेगा।वाहन की स्थिति में तथा रंग—रोगन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा।
2. न्यायालय द्वारा उक्त जब्तशुदा वाहन को तलब करने पर न्यायालय में पेश करेगा तथा इसमें चूक करने पर सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा की राशि को राज्य सरकार को अदा करेगा।

माफिक आदेश सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा व अंडरटेकिंग पेश हुए। जो बाद जांच सत्यापित किये गये। **जब्तशुदा वाहन ईनोवा संख्या आरजे 19 यूए 8001 प्रार्थी हितेश कुमांर लुकड पुत्र रमेश लुकड उम्र 32 वर्ष निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा** को लौटाये जाने हेतु संबंधित पुलिस थाना बिशनगढ को तहरीर प्रेषित हो। वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में वर्णित इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर का मिलान वाहन के इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर से कर ही, वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करे। कागजात संलग्न पत्रावली रहे। प्रार्थना पत्र बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर संलग्न नतीजा रहे। केस डायरी लोटाई गई।

Hitesh
(वाहन स्वामी)

(जमानती)

ILS Bhati
(कमल सिंह)
एड.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-1,जालोर (राज.)